हिताची, मानेसर के संघर्षरत मज़दूरों के समर्थन में, ज़ोरदार प्रदर्शन; हरियाणा सरकार का पुतला फूंका

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

तेज़ बारिश और जल-भराव से समतल नज़र आतीं, टूटी सड़कों के जोखिम की परवाह ना करते हुए, 9 जुलाई को, शाम 5:30 बजे, हाथों में लाल झंडे लिए और गले में तख्तियां लटकाए, भारी तादाद में मज़दूर, पंजाब रोलिंग चौक पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। एक ओर औद्योगिक नगरी फ़रीदाबाद का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 24 और दूसरी ओर घनी और विशाल 'संजय कॉलोनी' मज़दूर बस्ती के बीच, इस व्यस्त चौराहे पर काफ़ी लोग इस कौतूहल से बाहर देखने निकले कि मज़दूर, ज़रूर, किसी गंभीर मुसीबत से दो-चार हो रहे हैं, जो महिलाओं समेत इतनी बड़ी तादाद में, उस वक़्त प्रदर्शन करने निकले है जब सारा शहर, रविवार को छुट्टी के दिन, भारी बारिश के बीच घरों से बाहर झांक भी नहीं रहा।

सीआईडी अधिकारी ने भी 5 बजे, एक बार फिर पूछना ठीक समझा; 'परधान जी, आपका प्रदर्शन होगा या बारिश की वजह से कैंसल हो गया'। जब लोगों को ये समझ आया कि ये मज़दूर, आज अपने लिए नहीं बल्कि मानेसर स्थित हिताची कंपनी, जिसका नाम प्रोटेरिअल हो गया है, के ठेका मज़दूरों के 30 जून से चल रहे शानदार, बे-मिसाल आंदोलन को समर्थन देने, उनका हौसला बढ़ाने, और उनके साथ अपनी वर्गीय एकजुटता

रेखांकित करने निकले हैं; तो उनके चेहरे पर सुखद मुस्कान छा गई। प्रदर्शन की ख़ासियत ये रही कि जो भी देखने के लिए रुका, वह फिर आख़िर तक रुका रहा। कुछ मज़दूर तो सभा समाप्ति की घोषणा के बाद भी डटे रहे। 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' को जानने के लिए सवाल पर सवाल करते रहे और अपने-अपने कारखानों में मज़दूर सभाएं कराने की पेशकश के बाद ही रुख़सत हुए।

आईएमटी, मानेसर के सेक्टर 8 मे मारुति की विख्यात कंपनी के गेट न 3 के सामने मौजूद, मारुति की वेंडर कंपनी; 'प्रोटेरिअल (इंडिया) प्रा. लि.', मूल रूप से जापानी कंपनी की भारतीय शाखा है, जो पहले 'हिताची' के नाम से जानी जाती थी। यह कंपनी, मारुति-सुजुकी कारों में लगने वाले विद्युत उपकरण बनाती है। इस कंपनी में कुल 251 मज़दूर काम करते हैं, जिनमें 51 स्थायी और 200 ठेका मज़दूर हैं। हर उद्योग में ही नहीं, बल्कि हर सरकारी विभाग में भी आज ये ही आलम है; 'स्थायी मज़दूर कम करते जाओ और ठेका मज़दूर बढ़ाते जाओ'। पूंजी द्वारा, श्रम के तीव्रतम शोषण के मौजूदा कालखंड में, मज़दूरों की हड्डियां तक निचोड़ लेने के लिए, ये पद्धति मालिकों के लिए सबसे मुफ़ीद है। पूंजी के जमूरों की तरह काम कर रही, सभी रंग-बिरंगी सरकारें, ठेका मज़दूरों को किसी भी सीमा तक बढ़ाने की खुली छूट, मालिकों को देती जा रही हैं। 5 सालों में मंहगाई कहां पहुंच गई, क्या किसी को बताने की ज़रूरत है? प्रोटेरिअल नाम की इस जापानी कंपनी के प्रबंधन को लेकिन इसका इल्म नहीं!! ठेका मज़दूरों को वही वेतन मिल रहा है, जो 5 साल पहले मिलता था। 'मंहगाई के अनुसार तो हमारा वेतन डबल हो जाना चाहिए। आप उतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो बढ़ाओ', ये मज़दूरों की पहली मांग है। दूसरी मांग है, हर महीने कम से कम 1 छुट्टी हमें भी मिल, हम भी इंसान हैं। साथ ही, छुट्टी मज़दूर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेने का हक़ हो। प्रबंधन का कहना है कि जब कंपनी चाहे, तब मज़दूर छुट्टी पर जाए। अपनी शादी के लिए छुट्टी मांगने वाले एक मज़दूर को एचआर मैनेजर ये कह चुका है कि तुमने शादी कंपनी से पूछकर रखी थी क्या? 'औद्योगिक विवाद क़ानून 1947' के अनुसार, स्थायी कार्य के लिए अस्थायी अर्थात ठेका मज़दूर को नहीं रखा जा सकता। कोई भी मालिक, ख़ुद सरकार भी, इस क़ानून का पालन नहीं कर रहे। 240 दिन तक काम करने वाला हर मज़दूर, स्थायी होने का हक़दार है। प्रोटेरिअल में 10-10 साल से काम कर रहे मज़दूर, अस्थायी ही बने हुए हैं। 'हमें ज़िन्दगी भर ठेका मज़दूर रखकर, श्रम अधिकारों से महरूम मत कीजिए। हमें स्थायी किया जाए'; ये मज़दूरों की तीसरी मांग है।

कंपनी प्रबंधन ने जब मज़दूरों की जायज़ मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो 30 जून से प्रोटेरिअल के सारे के सारे 200 ठेका मज़दूरों ने, 'प्रोटेरिअल (हिताची) मज़दूर यूनियन' बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया। कंपनी में वे जिस जगह काम करते थे, वहीं बैठ गए, धरना शुरू हो गया। मज़दूर चाहते थे कि मैनेजमेंट उनसे बात करे। जापानी मैनेजमेंट, मज़दूरों से बातचीत कर रास्ता निकालना जानता ही नहीं, उसे तो बस दमन ही मालूम है। कंपनी ने मज़दूरों को खाना देने से मना कर दिया, उनके पंखे भी बंद कर दिए। कुछ कैजुअल मज़दूरों ने मिलकर, गेट पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथी आंदोलनकारियों के लिए खाने का बंदोबस्त किया लेकिन मैनेजमेंट ने खाना अंदर ले जाने से मना कर दिया। ये 6 जुलाई की बात है।

उस दिन भी 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' की 4 सदस्यीय टीम, हितेची/ प्रोटेरिअल मज़दूरों का हौसला बढ़ाने, उनके साथ अपनी कामरेडाना एकजुटता प्रदर्शित करने तथा हक़ीक़त जानन मानेसर गई थी। लेबर इंस्पेक्टर पवन की मौजूदगी में खाने को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन कंपनी प्रबंधन अड़ा रहा।

एचआर मेनेजर, केशव गुप्ता ने शर्त रखी कि जब तक मज़दूर अपने मोबाइल उन्हें नहीं सौंपते, उन्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐसी अमानवीय शर्त, इससे पहले कहीं भी, कभी भी नहीं रखी गई। कंपनी चाहती थी कि मज़दूरों का संबंध बाहर दुनिया से कट जाए। लेबर इंस्पेक्टर की बात को प्रबंधन ने कोई महत्व नहीं दिया और लेबर विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कुश्ती नूरा थी। कहना ना मानना और ना मानने को गंभीरता से ना लेना; सब नौटंकी की स्क्रिप्ट थी। 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' ने, वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बात की कि खाना रोकना अमानवीय है। मानव अधिकार आयोग अगर जिंदा होता, तो रोकने वाले अब तक गिरफ्तार हो चुके

होते।

पुलिस अधिकारी ने कहा वे तो कानून-व्यवस्था की निगरानी के लिए हैं। खाने का फैसला एसएचओ ले सकते हैं। एसएचओ, मानेसर से बात हुई। उन्होंने कहा आईएमटी के लिए अलग एसएचओ हैं, उनसे बात कीजिए। उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन बंद था। कंपनी प्रबंधकों के मोटे-मोटे पेट भरे हुए थे, उनके लिए सब कुछ सामान्य था। बाहर 4 घंटे से रखा खाना, ख़राब होने लगा था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद सिर्फ केले ले जाने दिए। 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' के अध्यक्ष तथा महासचिव ने कंपनी गेट पर, धरना-स्थल पर मज़दूरों को संबोधित भी किया। 5 मज़दूर 4 जुलाई को बेहोश हो चुके थे जिनमें एक, ठीक होकर धरना-स्थल पर लौट आए थे, जब कि 4 मज़दूर, 6 जुलाई तक ईएसआई अस्पताल में भर्ती थे। 7 तारीख को, कंपनी ने, मज़दूरों को, रात 12 बजे सूखी रोटियां खाने को दीं। मज़दूरों ने खाने से मना कर दिया और वे भूख हड़ताल पर चले गए। मज़दूर नहीं चाहते कि रोटी की जद्दोजहद में, उनके संघर्ष के मूल मुद्दे ही दबकर न रह जाएं

इस बीच कंपनी मैनेजमेंट ने, हड़ताली मज़दूरों के विरुद्ध, अदालत में दावा (क्रमांक सी एस-1394-2023) दायर कर मांग की, कि मज़दूरों को बलपूर्वक हटाने की अनुमति दी जाए। मामले की सुनवाई, अनिल कुमार यादव, सिविल जज की अदालत में,10 जुलाई को हुई और उसी दिन फैसला आ गया। फ़ैसले की प्रति 'मज़दूर मोर्चा' के पास है।

मज़दूरों के वकील श्रीभगवान ने अदालत में जिरह करते हुए कहा कि 10-10 साल से ये मज़दूर, कंपनी में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन ठेका मज़दूर ही बने हुए हैं। अदालत ने दख़ल नहीं दिया तो ये ठेके पर ही रिटायर हो जाएंगे। महीने में मात्र 10,000 वेतन पाने वाले, ये मज़दूर, इसलिए कंपनी के अंदर, उनके काम करने की जगह पर ही बैठकर, हड़ताल करने को मजबूर हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जगह दूसरे मज़दूर भर्ती कर लिए जाएंगे और उन्हें बाउंसरों से पिटवाकर भगा दिया जाएगा।

कंपनी की ओर से उनके कई वकील और उपाध्यक्ष के के कृष्णन उपस्थित हुए। जज साहब ने बातों में मज़दूरों से ख़ूब हमदर्दी दिखाई, लेकिन फैसला कंपनी के पक्ष में सुनाया।

'प्रतिवादी पक्ष (मतलब मज़दूरों) को हुक्म दिया जाता है कि वे आदेश के 3 घंटे के अंदर, जिस जगह वे काम करते हैं, उसे ख़ाली कर दें। वे अन्यत्र किसी जगह, जहां कंपनी के काम में कोई रुकावट ना आए शांतिपूर्वक आंदोलन करने को आज़ाद हैं। वे कंपनी की उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं कर सकते। वे किसी भी अन्य मज़दूर अथवा अधिकारी के काम करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर सकते।' अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि वे तत्काल वार्ता शुरु करें और 3 दिन में समाधान निकालें। आंदोलनकारी मज़दूरों के साथ कंपनी दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करेगी या सभी की नौकरी सुरक्षित रहेगी, इस अहम मुद्दे पर अदालत मौन है। अदालत ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख रखी है। अदालत के आदेश का सम्मान करते हुए, मज़दूर, अपने काम की जगह से हट गए। कंपनी की धूर्तता देखिए, उसने उनके आंदोलन के लिए, अंदर एक कोने में टेंट लगा दिया। मज़दूर चालाकी समझ गए और वहां जाने के बजाए कंपनी बिल्डिंग के ठीक सामने, प्रमुख गेट के अंदर, धूप और बारिश की परवाह ना करते हुए, बाहर खुले में ही बैठ गए। कंपनी ने मज़दूरों से वार्ता भी शुरू की है। वार्ता लेकिन समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास है, या अदालत के कहने की खाना-पूर्ति की जा रही है, जिसे 14 जुलाई को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जा सके; वक़्त बताएगा।

प्रशासन, सरकार, अदालतें और 'मुख्य धारा' का मीडिया, मतलब लोकतंत्र के चारों के चारों खंभे, मज़दूरों के विरुद्ध, एक हो गए हैं। मज़दूरों के पास अब बस एक ही ताक़त बची है, वह है; उनकी विशाल तादाद, उनकी ये खासियत कि कोई भी उत्पादन, कैसा भी निर्माण, उनके हाथों के बगैर नहीं होता। मज़दूरों की ये विशिष्टता उन्हें अजेय बनाती है लेकिन इसके लिए एक शर्त है। उन्हें अपनी एकता फ़ौलादी बनानी होगी। वर्गीय चेतना की ऐसी ज्वाला प्रज्जवलित करनी होगी कि देश में कहीं भी दमन हो, ज़ुल्म-ओ-जबर किसी भी कोने में हो, उसके प्रतिरोध की गूंज, सारे मुल्क में सुनाई दे। अपने इसी फ़र्ज़ को पहचानते हुए, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' ने, 9 जुलाई के इस आक्रोश प्रदर्शन का आह्वान किया था। ख़राब मौसम के बावजूद, मज़दूरों ने पूरे जोश-ओ-ख़रोश से उसमें भाग लिया। उत्साह उससे भी कहीं ज्यादा था, जैसा उनकी अपनी मांगों के लिए होने वाले आंदोलनों में रहता है। मज़दूर वर्ग के मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत सुकून पहुंचाने वाली ख़बर है।

मज़दूर, शहीद-ए-आज़म भगतसिंह, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां के कथनों के पोस्टर लिए हुए थे तथा उन्होंने गले में ये पट्टियां डाली हुई थीं: 'हिताची मानेसर के मज़दूरों के साथ इंसाफ करो', 'ठेका प्रथा पे हल्ला बोल', 'हिताची/ प्रोटेरिअल के बहादुर मज़दूरों के संघर्षों को लाल सलाम', 'मज़दूरों का दमन नहीं सहेंगे', 'मज़दूर-विरोधी खट्टर सरकार मुर्दाबाद', 'हिताची मानेसर के मज़दूरों को न्याय दो', 'हिटलरशाही का एक जवाब- इंक़लाब ज़िंदाबाद', 'फ़ासीवाद का एक जवाब- इंक़लाब ज़िंदाबाद', 'ठेका मज़दूरों संघर्ष करो- हम तुम्हारे साथ हैं', 'हिताची मानेसर के बहादुर मज़दूरों का साथ दो', मालिक-पुलिस- प्रशासन-सरकार गठजोड़ मुर्दाबाद', 'प्रोटेरिअल हिताची के मज़दूरों का दमन नहीं सहेंगे'।

सभा, शुरू से आख़िर तक ज़ोरदार नारों से गूंजती रही। आस-पास के लोग, जो सभा में दर्शक की हैसियत से शामिल हुए, वे भी नारों का उत्साहपूर्वक साथ लगातार देते रहे। बहुत ही ख़ुशी की बात है कि मज़दूरों से प्रतिबद्धता रखने वाला एकल-चैनल मीडिया, बड़ी तादाद में उपस्थित था। मज़दूर-मीडिया और सभी मज़दूर, हरियाणा सरकार के पुतला-दहन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हरियाणा सरकार, मजदूरों में इतनी लोकप्रिय है कि उन्हें सरकार के पुतले को ठोकर-लात-थप्पड़ मारने से नहीं रोका जा सकता!!! सरकार के प्रतीक, पुतले को लतियाने से उपजी सुखदाई मुस्कान, उनके चेहरों पर बहुत देर तक रही।